तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमचन्द बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार आउ)** सू.अ.अ. अपील संख्या 27 / 2023
07-02-2023	अपीलार्थी खेमचन्द पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल सा. चाडी हाल वार्ड नं. 1, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.07..2022 में (1) दिनांक 16.11.21 में की गई कार्यवाही की नकल ग्राम चाडी तहसील बापिणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1973 में 59.13 बीघा की 1/4 हिस्सा 14.18 में ईतकाल संबंधी की गई कार्यवाही की नकल व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाप को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तहसीलदार आड द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार आउ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार आउ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 125 दिनांक25.01.23 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि तहसील ग्राम चाडी तहसील आउ के ख.नं. 1973 रकबा 59.13 बीघा में 1/4 हिस्सा चेतनराम पुत्र खेताराम के वारिसान के नाम ईतकाल दर्ज करने एवं उसकी नकल देने संबंधित कार्यवाही करने का उत्तर दिया गया कि इन्काल दर्ज नहीं किया जा सकता एवं प्रार्थी खेमचन्द को सूचना साधारण डाक से तारीख 08.07. 2022 को भेजी गई। तहसीलदार आड से प्राप्त रिपोर्ट एवं उसके संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के कथनानुसार उसने लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लोहावट) के समक्ष दिनांक **09.07.2022** को प्रार्थना पत्र दिया गया एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आउ) को जरिये पत्रांक 2419 दिनांक **17.08.2022** के सूचना देने का निर्देशित किया गया। तहसीलदार बापणी द्वारा भी अपीलार्थी/प्रार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार आउ को जरिये पत्रांक 1051 दिनांक **21.07.2022** को स्थानान्तरित किया गया, जबकि तहसीलदार आउ ने प्रार्थी को जरिये पत्रांक 901 दिनांक **07.07.2022** को सूचना साधारण डाक से भिजवाया जाना बताया गया, सूचना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व सूचना भिजवाया का कथन सन्देहाप्रद है। संभवत तहसीलदार ने अपीलार्थी/प्रार्थी को उसके अन्य प्रार्थना पत्र जबाब प्रेषित किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आउ) को निर्देशित किया जाता है लगातार...

कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में प्रार्थी को उपलब्ध करावे तथा अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)